



भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर तथा विभिन्न कॉलोनीयों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु जीईएम बोली - पूर्व-बोली बैठक का कार्यवृत्त

जीईएम बोली सं. [GEM/2026/B/8007021](#)

दिनांक 07 सितंबर 2026 की जीईएम बोली सं. GEM/2026/B/8007021 के अनुसरण में, दिनांक 05 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु की दूसरी मंज़िल स्थित व्याख्यान कक्ष में एक पूर्व-बोली बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में संपदा विभाग के अधिकारी और भावी बोलीदाता उपस्थित हुए। उपस्थित व्यक्तियों की सूची नीचे दी गई है:

(क) संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु के अधिकारी

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1	श्री व्योम गुप्ता	उप महाप्रबंधक
2	श्री प्रिय प्रवास रंजन	सहायक महाप्रबंधक
3	श्री कार्तिक रविकुमार	प्रबंधक (तकनीकी)
4	श्री जोसेफ जे कुन्नाथूर	प्रबंधक
5	सुश्री सविता जवरप्पा	सहायक प्रबंधक
6	सुश्री ऐश्वर्या अंगडी	सहायक

(ख) भावी बोलीदाता एवं उनके प्रतिनिधि

क्र. सं.	भावी बोलीदाता	प्रतिनिधि
1	मैसर्स श्री विनायक एंटरप्राइजेज	श्री जी. चंद्रशेखर
2	मैसर्स वीएआर-एफएमएस	श्री रॉबिन एस.
3	मैसर्स स्वस्तिक इलेक्ट्रोटेक प्रा. लि.	श्री निरंजन कुमार तिवारी, श्री आर. अन्नादुरई
4	मैसर्स ब्लूस्प्रिंग एंटरप्राइजेज लि.	श्री रघुनाथ आर., श्री हरि बाबू
5	मैसर्स बीवीजी इंडिया लि.	श्रीमती शालिनी, श्री अखिलेश
6	मैसर्स पैनोरमा एंटरप्राइजेज	श्री एम. मनीष रेड्डी
7	मैसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन	श्री सुधाकरण बी., श्री शिवप्रसाद
8	मैसर्स टीसीएफएम	श्री प्रशांत बाबू वी.

2. भावी बोलीदाताओं द्वारा ई-मेल के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों तथा बैठक के दौरान उठाए गए प्रश्नों का समाधान किया गया।

3. बोलीदाताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों तथा बैंक के स्पष्टीकरणों/टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्रश्न एवं सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणी
1	कार्यक्षेत्र दौरा घोषणा (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 16, बिंदु सं. 8; खंड III(ख), क्र. सं. 8): कृपया स्व-घोषणा का प्रारूप प्रदान करें, क्योंकि इसका उल्लेख निविदा दस्तावेज में नहीं किया गया है।	कार्यक्षेत्र दौरा घोषणा का एक नमूना प्रारूप इस कार्यवृत्त के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। घोषणा में निविदा के अंतर्गत आने वाली सभी सात संपत्तियों (एमओपी, आरबीओक्यू कनिंघम रोड, आरबीओक्यू कनिंघम क्रिसेंट, आरबीओक्यू कोरमंगला, आरबीएसक्यू ऑस्बॉर्न रोड, आरबीएसक्यू आरपीसी लेआउट तथा आरबीएसक्यू नंदिनी लेआउट) का दौरे की तारीख सहित विवरण होना चाहिए, जिसे संबंधित परिसर के देखरेखकर्ता (केयरटेकर) द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।
2	सफाई सामग्री (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 24, बिंदु सं. 1(e) तथा पृष्ठ सं. 48, बिंदु सं. 18): सफाई सामग्री के नाम/निर्दिष्ट और मात्रा निर्दिष्ट नहीं हैं। स्पष्ट करें कि क्या सफाई सामग्री की लागत की प्रतिपूर्ति सेवा शुल्क और 18% जीएसटी के साथ की जाएगी; यदि नहीं, तो सटीक सूची और मासिक मात्रा प्रदान करें।	हाउसकीपिंग/सफाई सामग्री की लागत की अलग से प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। इसे मूल्य बोली की मद सं. 8 से 11 के अंतर्गत और कचरा बैग को मद सं. 12 के अंतर्गत उद्धृत किया जाएगा। सामग्रियों और ब्रांडों (मेक) की एक सांकेतिक सूची खंड IV(क) की तालिका 7 में दी गई है, तथा गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं हाउसकीपिंग कार्य-क्षेत्र के बिंदु सं. 18 (सामग्रियों की गुणवत्ता) में दी गई हैं। कार्य के दायरे, निर्दिष्ट आवृत्तियों तथा कार्यक्षेत्र के दौरे के आधार पर मात्रा का आकलन बोलीदाता द्वारा स्वयं किया जाएगा। फ्लैटों और सामान्य क्षेत्रों का विवरण खंड IV(क) की तालिका 1 में दिया गया है।
3	जनशक्ति एवं ओवरटाइम (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 25, बिंदु सं. 1, दूसरा पैरा; तालिका 3 एवं 4): स्पष्ट करें कि क्या 135 जनशक्ति में रिलीवर शामिल हैं, और क्या ठेकेदार द्वारा दोगुनी दर पर भुगतान किए गए ओवरटाइम की अलग से आरबीआई द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।	खंड IV(क) की तालिका 2 में दर्शाई गई 135 की जनशक्ति न्यूनतम आवश्यक तैनाती है और इसमें रिलीवर शामिल नहीं हैं। साप्ताहिक अवकाश और छुट्टियों के लिए रिलीवर ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाएंगे, और उनकी लागत को मूल्य बोली की मद सं. 1 से 4 तथा 15 में शामिल किया जाएगा (कृपया खंड IV(क) की तालिका 3 के नीचे दी गई टिप्पणी और अनुलग्नक XII देखें)। बैंक द्वारा अलग से कोई ओवरटाइम या अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा। उद्धृत दरों के भीतर काम के घंटे, साप्ताहिक विश्राम और ओवरटाइम संबंधी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन ठेकेदार की जिम्मेदारी है (कृपया खंड IV(क) के खंड 8, आपातकालीन स्थितियां देखें)।
4	बीओक्यू की मद सं. 15 के तहत पीएफ, ईएसआई, बोनस और ग्रेच्युटी: स्पष्ट करें कि क्या पीएफ को ₹25,000 प्रति माह तक सीमित मजदूरी पर 13% माना जाना है; क्या ₹21,000 से अधिक मजदूरी वाले कर्मचारियों को ईएसआईसी से छूट प्राप्त है और, यदि हां, तो क्या समूह स्वास्थ्य बीमा (और इसका कवरेज) आवश्यक है; क्या बोनस पर विचार किया जाना है; और	बोलीदाता बोली जमा करने की अंतिम तिथि को लागू श्रम संहिताओं और नियमों सहित लागू कानूनों के अनुसार मूल्य बोली की मद सं. 15 के तहत वैधानिक/अनिवार्य घटकों (ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, प्रशासनिक शुल्क, बोनस, ग्रेच्युटी आदि) का आकलन और उद्धरण करेंगे। बैंक इन घटकों के लिए दरें निर्धारित नहीं करता है। 17 सितंबर 2026 से लागू ₹25,000 प्रति माह की ईपीएफ मजदूरी सीमा को मद सं. 15 के तहत बोली में शामिल किया जाएगा (कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 23 पर दिए गए स्पष्टीकरण को भी देखें)। मद सं. 15 के तहत भुगतान केवल

क्र. सं.	प्रश्न एवं सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणी
	ग्रेच्युटी की गणना का आधार क्या है।	उन राशियों के लिए किया जाएगा जो (क) कानून के तहत देय हैं, (ख) दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वास्तव में भुगतान/जमा की गई हैं, और (ग) वास्तव में तैनात जनशक्ति से संबंधित हैं, जो उद्धृत राशि तक सीमित होंगी (कृपया मूल्य बोली का नोट (iv) देखें)। बोनस और ग्रेच्युटी के लिए, कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 22 पर स्पष्टीकरण देखें। ईएसआई अंशदान उन कर्मियों के संबंध में देय होगा जिनका वेतन तत्समय प्रवृत्त ईएसआई योजना की कवरेज सीमा के भीतर है। ईएसआई के अंतर्गत कवर न होने वाले कर्मियों के लिए: (क) रोजगार चोट के लिए मुआवजा ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और खंड IV(ख) के खंड 12 के तहत कर्मचारी मुआवजा पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा; (ख) मातृत्व लाभ ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा; (ग) ठेकेदार अपने खर्च पर ओएसएच संहिता, 2020 के तहत आवश्यक वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करेगा। समूह चिकित्सा बीमा इस निविदा की आवश्यकता नहीं है, और यदि इसे लिया जाता है तो इसकी लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
5	एसएआर में शामिल न की गई सामग्री (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 27, बिंदु सं. (f)): एसएआर (अनुलग्नक XV) के अंतर्गत कवर की गई सामग्री के अलावा ठेकेदार द्वारा खरीदी गई सामग्री की वास्तविक आधार पर सेवा शुल्क और 18% जीएसटी के साथ प्रतिपूर्ति की जाएगी।	हां। खंड IV(क) के खंड 4 के अनुसार, एसएआर में शामिल नहीं की गई और बैंक की पूर्व लिखित मंजूरी से खरीदी गई सामग्री की प्रतिपूर्ति बिलों द्वारा समर्थित वास्तविक लागत पर की जाएगी, जो बैंक द्वारा सत्यापित प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो। क्रय लागत (जीएसटी को छोड़कर) पर मूल्य बोली की मद सं. 18 में उद्धृत प्रतिशत के अनुसार ठेकेदार का लाभ/सेवा शुल्क दिया जाएगा, तथा जीएसटी नियमानुसार देय होगा।
6	एमओबी रात्रि पाली इलेक्ट्रीशियन (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 29, तालिका 4): एमओबी इलेक्ट्रीशियन के लिए रात्रि के समय आवासीय कॉलोनिमें में आपातकालीन शिकायतों का निवारण करना व्यावहारिक नहीं है। कॉलोनिमें में रात्रि पाली के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रीशियन प्रदान किया जा सकता है और अनुमानित लागत को तदनुसार संशोधित किया जा सकता है।	बैंक के निर्देशानुसार मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी) में तैनात रात्रि पाली का इलेक्ट्रीशियन रात के समय आवासीय कॉलोनिमें में आपातकालीन विद्युत शिकायतों (जैसे पूर्ण विद्युत विफलता या सुरक्षा खतरा) का समाधान करेगा। सामान्य शिकायतों का निवारण कॉलोनिमें में तैनात इलेक्ट्रीशियनों द्वारा दिन के समय किया जाएगा। ऐसी आपातकालीन कॉलों के लिए वाहन/आवागमन की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी, और बोलीदाता दरें उद्धृत करते समय इसे ध्यान में रख सकते हैं।
7	अनुपस्थिति (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 29, बिंदु सं. 8(2)): अनुपस्थित जनशक्ति के लिए केवल लागू दैनिक न्यूनतम मजदूरी ही काटी जानी चाहिए। दोहरी कटौती से बचने के लिए कम तैनाती के संबंध में खंड IV(ग) के क्र. सं. 9 के तहत अतिरिक्त	अनुपस्थिति के लिए कटौती यह सुनिश्चित करती है कि भुगतान केवल वास्तव में प्रदान की गई सेवाओं के लिए किया जाए, जबकि खंड IV(ग) के क्र. सं. 9 के तहत जुर्माना सेवा में कमी के लिए है। हालांकि, खंड IV(ग) के क्र. सं. 9 के तहत जुर्माना उस दिन के लिए नहीं लगाया जाएगा जिस दिन अनुपस्थित कर्मचारी के स्थान पर बैंक द्वारा अनुमोदित रिलीवर तैनात किया गया हो।

क्र. सं.	प्रश्न एवं सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणी
	जुर्माना हटाया जा सकता है।	
8	आपातकालीन सेवा (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 30, बिंदु सं. 6(v)): ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के शिकायतों का समाधान करेगा, लेकिन उपभोग्य सामग्रियों/सामग्रियों की लागत एसएआर के अनुसार या सेवा शुल्क और 18% जीएसटी के साथ बाजार/क्रय दरों पर अतिरिक्त रूप से ली जाएगी।	आपातकालीन सेवाओं के लिए श्रम लागत उद्धृत दरों में शामिल है। आवश्यक सामग्री का भुगतान खंड IV(क) के खंड 4 के अनुसार किया जाएगा: अनुलग्नक XV में शामिल मदों के लिए एसएआर पर, और अन्य मदों के लिए मद सं. 18 में उद्धृत प्रतिशत के साथ वास्तविक लागत पर, तथा नियमानुसार जीएसटी। यदि बैंक द्वारा निर्धारित तैनाती से अधिक अतिरिक्त जनशक्ति की मांग की जाती है, तो उद्धृत दरों पर यथानुपात भुगतान किया जाएगा। तैनाती में स्थायी परिवर्तन की सूचना अग्रिम रूप से दी जाएगी; अल्पकालिक अतिरिक्त आवश्यकता के लिए, आम तौर पर एक या दो दिन पहले सूचना दी जाएगी।
9	परिवहन (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 32, बिंदु सं. 21): कार्य स्थलों तक और वहां से कार्यबल का परिवहन और आवागमन कार्यबल की जिम्मेदारी होगी, न कि ठेकेदार की।	अपने कार्यबल के लिए आवागमन और रसद की व्यवस्था करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। बैंक न तो परिवहन प्रदान करेगा और न ही इसकी प्रतिपूर्ति करेगा।
10	शिकायत प्रबंधन प्रणाली एवं एएमसी (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 36, बिंदु सं. A(3)): स्पष्ट करें कि क्या स्थलों पर शिकायत प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध है; यदि नहीं, तो क्या आरबीआई इसे प्रदान करेगा, या यदि ठेकेदार को सॉफ्टवेयर प्रदान करना पड़ता है तो लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी केवल शिकायतें दर्ज करने और अनुवर्ती कार्रवाई तक सीमित होनी चाहिए; सीसीटीवी, वीडिपी, इंटरकॉम, अग्निशामक यंत्र, पंप, लिफ्ट, सौर प्रणाली, हीटर, वाटर प्यूरीफायर आदि का एएमसी/रखरखाव ठेकेदार के दायरे में नहीं होना चाहिए।	शिकायत प्रबंधन प्रणालियां पहले से ही स्थापित हैं। ठेकेदार के पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को इन प्रणालियों में शामिल किया जाएगा, जो शिकायत निवारण के पहले स्तर के रूप में कार्य करेंगे, तथा बैंक एस्केलेशन चैनल होगा। पर्यवेक्षक संबंधित एएमसी एजेंसियों के पास शिकायतें दर्ज करेंगे और अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। हालांकि, कार्य के दायरे में निर्दिष्ट संचालन, नियमित जांच, निवारक रखरखाव और अन्य कार्य ठेकेदार द्वारा किए जाएंगे।
11	बढ़ई (कारपेंटर) की योग्यता (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 38, बिंदु सं. B(ii)): बाजार में आईटीआई योग्य बढ़ई उपलब्ध नहीं हैं। कृपया आईटीआई योग्यता की आवश्यकता को हटाएं और प्रासंगिक अनुभव पर विचार करें।	कृपया नीचे शुद्धिपत्र के क्र. सं. C2 को देखें।
12	विद्युत सामग्री (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 39, बिंदु सं. C(ii)): अनुलग्नक XV	अनुलग्नक XV (एसएआर) में विद्युत संबंधी मदें शामिल नहीं हैं। तदनुसार, बैंक की पूर्व लिखित मंजूरी से खरीदी गई विद्युत

क्र. सं.	प्रश्न एवं सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणी
	(एसएआर) में इस ट्रेड के लिए कोई सामग्री सूचीबद्ध नहीं है। अतः, बैंक के अनुमोदन से खरीदी गई सभी सामग्रियों की प्रतिपूर्ति सेवा शुल्क और 18% जीएसटी के साथ वास्तविक लागत पर की जानी चाहिए।	सामग्री की प्रतिपूर्ति खंड IV(क) के खंड 4 में एसएआर में शामिल न की गई मदों के प्रावधान के अनुसार की जाएगी: बिलों द्वारा समर्थित वास्तविक लागत, जो बैंक द्वारा मूल्यांकित प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो, साथ ही मद सं. 18 में उद्धृत प्रतिशत, तथा नियमानुसार जीएसटी। विद्युत मदों के लिए एसएआर तैयार किया जा रहा है और स्वीकृत होने पर, ठेकेदार की सहमति से, प्रभावी होने की तिथि से इस अनुबंध पर लागू होगा। बैंक सीधे सामग्री की खरीद और आपूर्ति भी कर सकता है।
13	प्लंबर की योग्यता (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 43, बिंदु सं. D(i)): बाजार में आईटीआई योग्य प्लंबर उपलब्ध नहीं हैं। कृपया आईटीआई योग्यता की आवश्यकता को हटाएं और प्रासंगिक अनुभव पर विचार करें।	कृपया नीचे शुद्धिपत्र के क्र. सं. C3 को देखें।
14	रूकावट/चोकेज हटाना (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 43, बिंदु सं. D(iv)): मैनहोलों की संख्या और सीवर/ड्रेनेज लाइन की कुल लंबाई निर्दिष्ट करें। चूंकि कोई अलग बीओक्यू मद नहीं है, स्पष्ट करें कि क्या लागत की प्रतिपूर्ति सेवा शुल्क और 18% जीएसटी के साथ अलग से की जाएगी, या एक उपयुक्त बीओक्यू मद प्रदान करें।	सामान्य साधनों से चोकेज/रूकावट को हटाना और सीवर कक्षों (चैंबरों) से मासिक गाद निकालना कार्य के दायरे और उद्धृत दरों में शामिल है। कृपया नीचे शुद्धिपत्र के क्र. सं. C4 को भी देखें।
15	टैंकर द्वारा जल आपूर्ति (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 44, बिंदु सं. 15): टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की लागत की प्रतिपूर्ति आरबीआई द्वारा सेवा शुल्क और 18% जीएसटी के साथ वास्तविक आधार पर की जाएगी।	ठेकेदार बैंक के निर्देशानुसार आपूर्ति की व्यवस्था करेगा। आपूर्ति किए गए पानी/टैंकर की लागत की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा बिलों के आधार पर वास्तविक व्यय के अनुसार की जाएगी, जो बीडब्ल्यूएसएसबी/अनुमोदित दर से अधिक न हो, साथ ही मद सं. 18 में उद्धृत प्रतिशत के अनुसार ठेकेदार का लाभ/सेवा शुल्क और नियमानुसार जीएसटी दिया जाएगा।
16	टंकी की सफाई और जल परीक्षण (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 45, बिंदु सं. 22 और 23): भूमिगत और शिरोपरि (ओवरहेड) टंकियों के प्रकार और क्षमता को निर्दिष्ट करें, और क्या टंकी की सफाई की प्रतिपूर्ति अलग से की जाएगी या कोई बीओक्यू मद प्रदान की जाएगी। एसटीपी और पीने के पानी के नमूना परीक्षण की आवृत्ति निर्दिष्ट करें, और क्या परीक्षण लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी या कोई बीओक्यू मद प्रदान की	कृपया नीचे शुद्धिपत्र के क्र. सं. C5 और C9 को देखें। भूमिगत और ओवरहेड पानी की टंकियों की संपत्ति-वार कुल क्षमता (लीटर में): एमओपी, नृपतुंगा रोड - 3,46,500; आरबीओक्यू कनिंघम रोड - 2,32,478; आरबीओक्यू कनिंघम क्रिसेंट - 1,72,410; आरबीओक्यू कोरमंगला - 4,61,161; आरबीएसक्यू ऑस्बॉर्न रोड - 6,87,917; आरबीएसक्यू आरपीसी लेआउट - 1,85,726; आरबीएसक्यू नंदिनी लेआउट - 1,83,908; कुल - 22,70,100। एसटीपी और पीने के पानी का परीक्षण बैंक द्वारा तय की गई आवृत्ति पर और बैंक के खर्च पर बैंक की एजेंसियों द्वारा ही

क्र. सं.	प्रश्न एवं सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणी
	जाएगी।	कराया जाता रहेगा; ठेकेदार के कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त लागत के नमूने एकत्र करने में सहायता करेंगे।
17	मौसमी फूलों के पौधे (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 55, (c)): आवश्यकता प्रति तिमाही 100 मौसमी फूलों के पौधे, यानी सालाना 400 पौधे हैं। प्रति वर्ष 400 पौधों से अधिक किसी भी मात्रा की प्रतिपूर्ति सेवा शुल्क और 18% जीएसटी के साथ वास्तविक खरीद दर पर की जाएगी।	मूल्य बोली की मद सं. 13 में प्रति तिमाही गमलों सहित 100 मौसमी फूलों के पौधों (400 प्रति वर्ष) की आपूर्ति शामिल है। बैठकों, वीआईपी दौरों और विशेष दिनों के लिए फूलों वाले गमले के पौधों (बागवानी, खंड IV(क) के तहत नोट 4 और 5) सहित किसी भी अतिरिक्त पौधे की आपूर्ति बैंक के लिखित निर्देशों पर की जाएगी। उनका भुगतान अनुबंध के अनुच्छेदों (अनुलग्नक X) के खंड 12 (कार्य-क्षेत्र/परिसर में परिवर्तन) के अनुरूप मद सं. 13 से प्राप्त दर पर यथानुपात, साथ ही नियमानुसार जीएसटी के अनुसार किया जाएगा।
18	मातृत्व लाभ (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 65, बिंदु सं. 6): 6 महीने के मातृत्व अवकाश के मामले में, अवकाश के दौरान कर्मचारी को देय वेतन की प्रतिपूर्ति 15% सीपी एवं ओएच और 18% जीएसटी के साथ वास्तविक आधार पर अलग से की जानी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्थापन जनशक्ति पहले से ही उद्धृत दरों में शामिल है।	मातृत्व लाभ नियोक्ता (ठेकेदार) का एक वैधानिक दायित्व है और इसे उद्धृत दरों में शामिल किया जाएगा। कोई अलग प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। ठेकेदार ऐसे अवकाश के दौरान एक उपयुक्त प्रतिस्थानी की तैनाती करेगा।
19	एसएआर दरें (अनुलग्नक XV): पृष्ठ 131, 134 और 138 पर सिविल मदों की दरें प्रचलित बाजार दरों से कम हैं; कृपया उन्हें संशोधित करें। सूचीबद्ध प्लंबिंग और बढ़ईगरी मदों के लिए मेक और मॉडल नंबर प्रदान करें ताकि दरों की जांच की जा सके।	अनुलग्नक XV (एसएआर) के तहत दरें प्रतिपूर्ति के लिए बैंक की अनुमोदित दरें हैं और इस निविदा के उद्देश्य से इन्हें संशोधित नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा समय-समय पर एसएआर की समीक्षा की जाती है। एक संशोधित एसएआर, अनुमोदित होने पर, उसके प्रभावी होने की तिथि से इस अनुबंध पर लागू होगा, और संशोधन के दौरान ठेकेदार से परामर्श किया जाएगा। सामग्री मद के विवरण में निर्दिष्ट ब्रांड (मेक) या प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार अनुमोदित समकक्ष होनी चाहिए। बैंक सीधे सामग्री की खरीद और आपूर्ति करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है (खंड IV(क) का खंड 4)।
20	एक्सेल बीओक्यू (मद सं. 1 से 20): एक्सेल बीओक्यू में फॉर्मूले नहीं हैं। मैनुअल गणना त्रुटियों से बचने के लिए राशियों और योगों की स्वतः-गणना के लिए कृपया फॉर्मूलों सहित बीओक्यू प्रदान करें।	अपनी मूल्य बोली की अंकगणितीय सटीकता के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार है। जीईएम वित्तीय बोली में उद्धृत कुल मूल्य, मूल्य बोली के कुल योग (मद सं. 20) के बराबर होना चाहिए; क्यूसीबीएस मूल्यांकन के लिए तकनीकी स्कोर के साथ जीईएम मूल्य का उपयोग किया जाएगा। मूल्य बोली की मद सं. 1 से 18 के लिए सभी दरें और राशियां जीएसटी को छोड़कर उद्धृत की जाएंगी। जीएसटी केवल मद सं. 19 के तहत उद्धृत किया जाएगा, और कुल योग (मद सं. 20) जीएसटी सहित होगा।
21	भुगतान की शर्तें (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ	खंड IV(ख) के खंड 8 के अनुसार, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ

क्र. सं.	प्रश्न एवं सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणी
	सं. 166, भुगतान शर्तें): चालान प्राप्त होने के 45 दिनों के बजाय 30 दिनों के भीतर भुगतान जारी करने का अनुरोध।	पूर्ण और सही बिल प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस (45) दिनों के भीतर भुगतान जारी किया जाएगा, जो सेवाओं के संतोषजनक प्रमाणन और वैधानिक अनुपालन के सत्यापन के अधीन होगा। बैंक निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर ही भुगतान जारी करने का प्रयास करेगा।
22	वैधानिक अनुपालन - अवकाश, बोनस और ग्रेच्युटी (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 104, खंड 15): (1) विचार किए जाने वाले अवकाशों की संख्या स्पष्ट करें (एनएफएच, सीएल/एसएल और एलडब्ल्यूडब्ल्यू/पीएल)। (2) स्पष्ट करें कि क्या बोलीदाताओं को बोली मूल्य में बोनस और ग्रेच्युटी को शामिल करना चाहिए, या क्या देय होने पर वास्तविक वैधानिक भुगतानों की आरबीआई द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। (3) स्पष्ट करें कि क्या बोली में बोनस को मासिक उपार्जन आधार पर माना जाना चाहिए, या वैधानिक देय तिथियों पर जारी वार्षिक भुगतान के रूप में माना जाना चाहिए।	(1) कृपया नीचे शुद्धिपत्र का क्र. सं. C1 देखें। (2) और (3) ग्रेच्युटी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 में दिए गए प्रावधान के अनुसार देय है: कम से कम पांच साल की निरंतर सेवा के बाद सेवामुक्ति पर एक कर्मचारी को, और एक निश्चित अवधि के कर्मचारी को, निश्चित अवधि पूरी होने पर आनुपातिक रूप से, ऐसे कर्मचारियों पर पांच साल की शर्त लागू नहीं होती है। कोई कार्यकर्ता एक निश्चित अवधि का कर्मचारी है या नहीं, यह ठेकेदार द्वारा नियुक्ति की शर्तों पर निर्भर करता है, और बोलीदाता तदनुसार देनदारी का आकलन करेंगे। लागू कानूनों के तहत देय सीमा तक बोनस और ग्रेच्युटी को मद सं. 15 में उद्धृत किया जाएगा और इसकी अलग से प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। बोनस का भुगतान श्रमिकों को किए जाने पर, भुगतान के प्रमाण के आधार पर जारी किया जाएगा। ग्रेच्युटी घटक जारी करने के लिए, कृपया नीचे शुद्धिपत्र का क्र. सं. C12 देखें।
23	संशोधित ईपीएफ मजदूरी सीमा (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 104, खंड 15): स्पष्ट करें कि क्या ईपीएफ मजदूरी सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के कारण संशोधित ईपीएफ अंशदान को बोली मूल्य में माना जाएगा या अनुबंध अवधि के दौरान आरबीआई द्वारा अलग से प्रतिपूर्ति की जाएगी।	17 सितंबर 2026 से लागू ₹25,000 प्रति माह की ईपीएफ मजदूरी सीमा को मद सं. 15 के तहत बोली में शामिल किया जाएगा। बैंक अंशदान दरें निर्धारित नहीं करता है; बोलीदाता लागू कानून के अनुसार दरें उद्धृत करेंगे (कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 4 पर दिए गए स्पष्टीकरण को भी देखें)। कृपया नीचे शुद्धिपत्र के क्र. सं. C6 और C7 को भी देखें।
24	क्षतिपूर्ति (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 109, खंड 22(a)): क्षतिपूर्ति पारस्परिक होनी चाहिए ('चूककर्ता पक्ष' दूसरे को क्षतिपूर्ति करे), और सेवा प्रदाता की कुल सकल देयता वाद हेतुक से पूर्व भुगतान किए गए एक महीने के सेवा/प्रबंधन शुल्क से अधिक नहीं होनी चाहिए।	खंड IV(ख) के खंड 12(h) (अनुलग्नक X का खंड 21(m)) के तहत ठेकेदार की देयता बैंक की संपत्ति के वास्तविक नुकसान या क्षति के लिए है जो सीधे ठेकेदार या उसके कर्मियों के कृत्य, चूक, लापरवाही या गलती के कारण हुई हो, जिसका मूल्यांकन खंड IV(ख) के खंड 13 में दिए गए तरीके से किया जाएगा। यह सामान्य टूट-फूट या उन कारणों से हुए नुकसान या क्षति पर लागू नहीं होता है जो ठेकेदार या उसके कर्मियों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। ठेकेदार खंड 12 के तहत सार्वजनिक/तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी के माध्यम से इस दायित्व को कवर करेगा (कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 26 को देखें); पॉलिसी के तहत वसूल न किए गए किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार उत्तरदायी रहेगा। निविदा के

क्र. सं.	प्रश्न एवं सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणी
		क्षतिपूर्ति और दायित्व संबंधी प्रावधान अन्यथा अपरिवर्तित रहेंगे। ठेकेदार की क्षतिपूर्ति अनुबंध की अवधि समाप्त होने या समाप्त किए जाने के बाद केवल अनुबंध अवधि के दौरान किए गए कृत्यों, चूकों या गलतियों से उत्पन्न होने वाले दावों के संबंध में ही लागू रहेगी, और केवल तब तक लागू रहेगी जब तक कि ऐसे दावे बैंक के खिलाफ कानूनी रूप से किए जा सकते हैं।
25	देयता खंड (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 109): देयता असीमित है; देयता को अनुबंध मूल्य तक सीमित करने का अनुरोध।	पक्षों की कुल देनदारी जीईएम सामान्य नियमों और शर्तों के खंड 18 (देयता की सीमा) द्वारा शासित होगी: 'कोई भी पक्ष किसी भी विशेष, आकस्मिक, दंडात्मक, अनुकरणीय या परिणामी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ... किसी भी पक्ष की कुल देयता, चाहे अनुबंध के तहत हो, टॉट में या अन्यथा, कुल अनुबंध मूल्य से अधिक नहीं होगी'। यह ठेकेदार के अपने कर्मियों को देय मजदूरी, वैधानिक देय राशि और मुआवजे, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या चोट, धोखाधड़ी, घोर लापरवाही या जानबूझकर किए गए दुराचार, या सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन के लिए ठेकेदार के दायित्व को सीमित नहीं करेगा।
26	बीमा: स्पष्ट करें कि क्या ठेकेदार की ऑल रिस्क पॉलिसी के तहत अग्नि जोखिम को कवर किया जाना है, क्योंकि अनुबंध सेवाओं के लिए है, और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए क्या बीमा कवर आवश्यक है।	कृपया नीचे शुद्धिपत्र का क्र. सं. C8 देखें। बीमा पॉलिसियां अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्व और क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त हैं और उसे सीमित नहीं करती हैं।
27	ईएसआई द्वारा कवर न किए गए श्रमिकों के लिए समूह चिकित्सा बीमा।	कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 4 पर स्पष्टीकरण देखें।
28	न्यूनतम सेवा शुल्क: ठेकेदार के सेवा शुल्क के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत की पर्याप्तता।	निविदा में निर्दिष्ट 5% का न्यूनतम सेवा शुल्क एक आधार सीमा (फ्लोर) है, ताकि उद्धृत दर ठेकेदार के उपरिव्यय और अनुपालन दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। बोलीदाता इससे अधिक दर उद्धृत कर सकते हैं। बैंक अनुबंध की शर्तों की पूर्ति पर सहमत राशियों का भुगतान करता है; ठेकेदार के कर्मियों को मजदूरी, वैधानिक देय राशि और अन्य दायित्व ठेकेदार की जिम्मेदारी हैं।
29	निविदा दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने पर प्रतिबंध।	इस निविदा के लिए अपनी बोलियां तैयार करने और प्रस्तुत करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए बोलीदाताओं द्वारा निविदा दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाना, वितरण करना या रिकॉर्ड करना प्रतिबंधित है।
30	निविदा दस्तावेज में 'और/या' (and/or) का प्रयोग (उदा. पृष्ठ 12)।	'और/या' का अर्थ संदर्भ के अनुसार दोनों में से कोई एक या दोनों है।
31	ईएमडी बैंक गारंटी की वैधता एवं विस्तार (पृष्ठ 10, बिंदु 2)।	ईएमडी बैंक गारंटी और बोली दोनों को 180 दिनों के लिए वैध होना आवश्यक है, जो मूल्यांकन अवधि को कवर करता है।

क्र. सं.	प्रश्न एवं सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणी
		इसलिए आम तौर पर बैंक गारंटी के विस्तार की आवश्यकता होने की उम्मीद नहीं है।
32	कार्यक्षेत्र दौरे का प्रमाण।	बोलीदाता देखरेखकर्ताओं द्वारा प्रमाणित कार्यक्षेत्र दौरा घोषणा की एक प्रति अपने पास रख सकता है और दौरे के प्रमाण के रूप में बोली के साथ इसे प्रस्तुत करेगा (कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 1 को भी देखें)। दौरा इसलिए आवश्यक है ताकि बोलीदाता प्रत्येक संपत्ति में कार्य के आकार और प्रकृति को समझ सकें। घोषणा का एक नमूना प्रारूप इस कार्यवृत्त के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।
33	बोली की समयसीमा का विस्तार।	बोली जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है; कृपया नीचे शुद्धिपत्र का क्र. सं. C13 देखें। आगे कोई विस्तार, यदि कोई हो, केवल जीईएम और आरबीआई की वेबसाइट पर शुद्धिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा। अपने नियमों के तहत जीईएम द्वारा बोली की अंतिम तिथि का स्वतः विस्तार बैंक द्वारा किए गए विस्तार से अलग है।
34	मूल्य बोली मद सं. 1 से 4 और 15: स्पष्ट करें कि क्या इन मदों की दरों में रिलीवर शामिल होने चाहिए।	हां। मद सं. 1 से 4 की दरों में साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियों और अवकाश के लिए रिलीवरों की लागत शामिल होगी, और मद सं. 15 में ऐसे रिलीवरों के लिए वैधानिक अंशदान शामिल होंगे। कृपया नीचे शुद्धिपत्र के क्र. सं. C11 को भी देखें।
35	कार्यक्षेत्र दौरा घोषणा (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 8, बिंदु सं. 5): निविदा दस्तावेज के खंड III(ख), क्र. सं. 8 के तहत घोषणा के लिए एक नमूना प्रारूप प्रदान करें।	कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 1 और 32 पर दिए गए स्पष्टीकरण देखें। प्रारूप इस कार्यवृत्त के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।
36	तकनीकी स्कोरिंग के लिए पेरोल पर जनशक्ति का प्रमाण (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 22, बिंदु सं. 26): स्पष्ट करें कि क्या केवल नवीनतम ईपीएफओ ईसीआर/ईएसआईसी अंशदान विवरण ही पर्याप्त होगा, या क्या 31 अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति को दर्शाने वाला चार्टर्ड एकाउंटेंट/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है, क्योंकि 'और/या' अस्पष्ट है।	अगस्त 2026 के लिए नवीनतम ईपीएफओ ईसीआर (जहां लागू हो, ईएसआईसी अंशदान विवरण के साथ), या 31 अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार बोलीदाता के पेरोल पर कुल जनशक्ति को दर्शाने वाला चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र, खंड III(ग) के मानदंड (vi) के तहत स्कोरिंग के लिए पर्याप्त होगा। बैंक सत्यापन के लिए अन्य दस्तावेज मांग सकता है।
37	ग्राहक निष्पादन प्रमाण पत्र प्रारूप (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 83, अनुलग्नक II, प्रारूप 3A): निर्धारित प्रारूप अव्यावहारिक है क्योंकि प्रत्येक विभाग अपने स्वयं के प्रारूप का पालन करता है। अनुरोध है कि संबंधित	ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के प्रारूप में जारी किए गए निष्पादन प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते उनमें प्रारूप 3A में आवश्यक विवरण शामिल हों: ग्राहक का नाम और पता, कार्य का विवरण और दायरा, अनुबंध मूल्य, अनुबंध की अवधि, निष्पादित कार्य का मूल्य, और निष्पादन का ग्राहक द्वारा मूल्यांकन। जहां

क्र. सं.	प्रश्न एवं सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणी
	कार्य आदेश, अनुबंध या एलओआई के संदर्भ में जारी निष्पादन प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएं।	किसी ग्राहक के प्रमाण पत्र में ये सभी विवरण शामिल नहीं हैं, बोलीदाता प्रारूप 3A में छूटे हुए विवरण और संबंधित कार्य आदेश तथा अनुबंध जैसे सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
38	उपभोग रिपोर्ट (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 48-49, बिंदु सं. 23): निविदा के तहत आने वाले परिसरों के लिए वर्तमान उपभोग रिपोर्ट प्रदान करें, ताकि बोलीदाता आवश्यकताओं का आकलन कर सकें।	बोलीदाता कार्य के दायरे, निर्दिष्ट आवृत्तियों, खंड IV(क) की तालिका 7 में सांकेतिक सूची और कार्यक्षेत्र के दौरे के आधार पर सामग्री और उपभोग्य सामग्रियों की आवश्यकता का आकलन करेंगे (कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 2 पर दिए गए स्पष्टीकरण को भी देखें)।
39	वैधानिक दायित्व (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 65, बिंदु सं. 10): (1) क्या मजदूरी, पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, व्यावसायिक सुरक्षा, कल्याणकारी उपाय और अन्य श्रम-कानून दायित्वों को मजदूरी ब्रेकअप के भीतर माना जाता है और क्या उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। (2) क्या सवेतन अवकाश (प्रत्येक बीस दिन के काम के लिए एक दिन) को मजदूरी ब्रेकअप में माना जाता है और क्या इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। (3) क्या लागू राज्य अवकाश नीति के अनुसार मासिक धर्म अवकाश और आकस्मिक अवकाश को मजदूरी ब्रेकअप और निविदा मूल्यांकन में माना जाता है।	(1) कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 4, 18 और 22 पर स्पष्टीकरण देखें। लागू कानूनों के अनुसार मद सं. 1 से 4 के तहत मजदूरी और मद सं. 15 के तहत वैधानिक अंशदान उद्धृत किए जाते हैं; उद्धृत राशियों से अधिक और अलग से इनकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है, और मद सं. 15 का भुगतान प्रेषण/भुगतान के प्रमाण पर किया जाता है। (2) और (3) कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 22(1) पर स्पष्टीकरण देखें। सवेतन अवकाश, आकस्मिक अवकाश और कोई भी अन्य अवकाश जिसके लिए कर्मचारी लागू केंद्रीय और राज्य कानूनों के तहत हकदार हैं, और ऐसे अवकाश के दौरान रिलीवरों की लागत, मद सं. 1 से 4 के लिए उद्धृत दरों में शामिल होगी; कोई अलग भुगतान नहीं किया जाएगा।
40	मूल्य बोली मद सं. 6: स्पष्ट करें कि क्या मासिक शुल्क उद्धृत किए जाने हैं।	तिमाही दर उद्धृत की जानी है। कृपया नीचे शुद्धिपत्र का क्र. सं. C10 देखें। दर में तीन सामान्य सर्विसिंग (अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर), एक गहन सफाई (जनवरी) और वर्ष के दौरान ब्रेकडाउन कॉलों पर उपस्थिति शामिल होगी। कार्य के दायरे के अनुसार स्पेयर पार्ट्स का भुगतान अलग से किया जाएगा।
41	बीमा (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 108, बिंदु सं. 21): बीमा दायित्व व्यापक और असीमित हैं। चूंकि ठेकेदार का मार्जिन अधिकतम 5% है, इसलिए इन दायित्वों को इसके भीतर समाहित करना कठिन है।	कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 26 और 28 पर दिए गए स्पष्टीकरण देखें।
42	क्षतिपूर्ति (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं. 109, बिंदु सं. 22): क्षतिपूर्ति दायित्व व्यापक और असीमित हैं (बिंदु सं. 21 के साथ पढ़ें)।	कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 24 और 25 पर दिए गए स्पष्टीकरण देखें।
43	ईपीएफ मजदूरी सीमा: स्पष्ट करें कि क्या 17 सितंबर 2026 से लागू ₹25,000 प्रति	हां। कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 23 पर दिए गए स्पष्टीकरण को देखें।

क्र. सं.	प्रश्न एवं सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणी
	माह की संशोधित ईपीएफ मजदूरी सीमा पर विचार किया जाना है।	
44	न्यूनतम मजदूरी: निविदा मजदूरी अप्रैल 2026 में अधिसूचित केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी पर आधारित है। स्पष्ट करें कि क्या अक्टूबर 2026 में जारी संशोधित केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी का उपयोग किया जाना है।	हां। मद सं. 1 से 4 के लिए उद्धृत दरें संबंधित श्रेणियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) सहित), जो बेंगलुरु के लिए लागू हैं और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को लागू हैं, से कम नहीं होंगी। न्यूनतम मजदूरी के बराबर दरों को स्वीकार किया जाएगा; उनसे कम दरों को खारिज कर दिया जाएगा। अनुबंध अवधि के दौरान संशोधन खंड IV(ख) के खंड 9 द्वारा शासित होंगे।
45	मशीनीकृत जेटिंग: स्पष्ट करें कि क्या प्रत्येक परिसर में वर्ष में दो बार मशीनीकृत जेटिंग की जानी है और इसे उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना है।	हां। कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 14 पर स्पष्टीकरण देखें।
46	टंकी की सफाई: स्पष्ट करें कि क्या कार्य के दायरे में अर्धवार्षिक टंकी की सफाई जोड़ी जाएगी।	हां। कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 16 पर स्पष्टीकरण देखें।
47	मजदूरी ब्रेकअप: मूल वेतन, वीडिए, पीएफ, ईएसआईसी/मेडिकलेम (दुर्घटना पॉलिसी सहित समूह चिकित्सा कवर के लिए राशि निर्दिष्ट करें), सवेतन अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश, त्यौहार अवकाश, बोनस, ग्रेच्युटी, श्रम कल्याण कोष और अन्य तत्वों को कवर करने वाला एक विस्तृत मजदूरी ब्रेकअप प्रारूप प्रदान करें।	कोई अलग वेतन-विभाजन प्रारूप निर्धारित नहीं है, और अनुलग्नक XII केवल उदाहरणात्मक है। बोलीदाता द्वारा उपयोग किया गया वेतन विश्लेषण मूल्य बोली के साथ प्रस्तुत किया जाएगा; कृपया नीचे शुद्धिपत्र का क्र. सं. C11 देखें। ईएसआई द्वारा कवर न किए गए कर्मियों के चिकित्सा कवर के लिए, कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 27 पर स्पष्टीकरण देखें।
48	एसएआर मेक और मॉडल: एसएआर दरों के अनुरूप मेक और मॉडल नंबर प्रदान करें।	कृपया इस दस्तावेज के क्र. सं. 19 पर स्पष्टीकरण देखें।
49	समय विस्तार: सभी मापदंडों का आकलन करने में बोलीदाताओं को सक्षम बनाने के लिए बोली जमा करने हेतु सात (7) कार्य दिवसों के विस्तार का अनुरोध।	बोली जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। कृपया नीचे शुद्धिपत्र का क्र. सं. C13 देखें।

4. शुद्धिपत्र: निविदा दस्तावेज के निम्नलिखित खंडों को संशोधित किया जाता है। यह शुद्धिपत्र जीईएम (GeM) पर भी प्रकाशित किया जाएगा और निविदा दस्तावेज का भाग होगा।

क्र. सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
C1	खंड IV(क), खंड 6, तालिका 3 के नीचे की टिप्पणी: *श्रमिकों को वैकल्पिक व्यवस्था यानी	मौजूदा टिप्पणी बरकरार रखी गई है। इसके नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाता है: 'अवकाश, छुट्टियां और रिलीवर: (क) ठेकेदार अपने कर्मियों को

क्र. सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
	रिलीवर के साथ साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए, जिसके लिए बोलीदाता इस अनुबंध के तहत दरों को उद्धृत करते समय शुल्क को ध्यान में रखेगा। सभी कॉलोनीयों में साप्ताहिक अवकाश की सुविधा के लिए ठेकेदार द्वारा एक रिलीवर उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि किसी भी दिन प्रति परिसर श्रमिकों की कुल संख्या समान रहे। यह व्यवस्था पूरे वर्ष (365 दिन) निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए है। साप्ताहिक अवकाश की समय-सारणी अनुमोदन के लिए प्रत्येक माह बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।'	लागू कानूनों के तहत साप्ताहिक विश्राम, राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा छुट्टियां (सवेतन अवकाश, आकस्मिक और बीमारी अवकाश, मातृत्व अवकाश, और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अवकाश जैसे मासिक धर्म अवकाश, जिस सीमा तक उन पर लागू हो) प्रदान करेगा, और ऐसे दिनों के लिए कानून द्वारा अपेक्षित मजदूरी का भुगतान करेगा। (ख) तालिका 2 में दी गई जनशक्ति इयूटी पर उपस्थित होने वाली न्यूनतम संख्या है। साप्ताहिक अवकाश, छुट्टी, किसी भी प्रकार के अवकाश या अन्य कारण से होने वाली प्रत्येक अनुपस्थिति को उसी ट्रेड और योग्यता वाले रिलीवर द्वारा कवर किया जाएगा, जिसे ठेकेदार द्वारा तैनात किया जाएगा, ताकि तालिका 3 और 4 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक कार्य दिवस/पाली पर निर्धारित जनशक्ति उपस्थित रहे। (ग) रिलीवरों की लागत, छुट्टियों और अवकाश के लिए मजदूरी, छुट्टियों पर काम के लिए मजदूरी (कानून द्वारा अपेक्षित किसी भी उच्च दर या प्रतिपूरक अवकाश सहित) और अप्रयुक्त अवकाश का नकदीकरण मद सं. 1 से 4 के लिए उद्धृत दरों में शामिल माना जाएगा, और संबंधित वैधानिक अंशदान मद सं. 15 में शामिल माना जाएगा। कोई अलग भुगतान नहीं किया जाएगा। (घ) अनुलग्नक XII उदाहरणात्मक है; बोलीदाता साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियों और अवकाश के लिए रिलीवर की आवश्यकता का आकलन स्वयं करेंगे। (ङ) अनुमोदित रिलीवर द्वारा कवर न की गई अनुपस्थिति पर खंड IV(ग), क्र. सं. 9 के तहत कटौती और जुर्माना लगाया जाएगा।'
C2	खंड IV(क), B (बढ़ईगीरी), (i) योग्यता और अनुभव, मद (ii): '(ii) बढ़ईगीरी और फैब्रिकेशन कार्यों में न्यूनतम पांच (5) वर्षों के प्रासंगिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बढ़ईगीरी में एक सामान्य प्रमाण पत्र।'	'(ii) बढ़ईगीरी और फैब्रिकेशन कार्यों में न्यूनतम पांच (5) वर्षों के प्रासंगिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बढ़ईगीरी में एक अनुभव प्रमाण पत्र।'
C3	खंड IV(क), D (प्लंबिंग), (i) योग्यता और अनुभव, मद (ii): '(ii) प्लंबिंग और सेनेटरी रखरखाव कार्यों में न्यूनतम पांच (5) वर्षों के प्रासंगिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्लंबिंग में एक सामान्य प्रमाण पत्र।'	'(ii) प्लंबिंग और सेनेटरी रखरखाव कार्यों में न्यूनतम पांच (5) वर्षों के प्रासंगिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्लंबिंग में एक अनुभव प्रमाण पत्र।'
C4	खंड IV(क), D (प्लंबिंग), (ii) कार्य का दायरा, मद 4: '4. ड्रेनेज लाइनों/जल आपूर्ति लाइनों, गली	मौजूदा पाठ बरकरार रखा गया है। अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाता है: 'ठेकेदार छह महीने में एक बार एमओपी और प्रत्येक कॉलोनी की

क्र. सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
	ट्रेप, नहानी फ्लोर ट्रेप, मैनहोल, बॉटल ट्रेप, किचन सिंक, वॉश बेसिन, यूरिनल, डब्ल्यूसी, बाथटब आदि से चोकेज/रुकावट को हटाना, जिसमें कनेक्टिंग पीस, नल और वाल्व आदि को हटाना और दोबारा लगाना, यदि आवश्यक हो तो दीवार में छेद करना और कार्य को पूरा करने के लिए उसे ठीक करना आदि शामिल है। मेट्रो जल आपूर्ति में कोई भी समस्या, परिसर के भीतर किसी भी अपशिष्ट या मिट्टी की लाइन / सेनेटरी सिस्टम में किसी भी रुकावट को दूर करना, जिसमें हमारे परिसर से बाहरी सीवर लाइनों में रुकावट शामिल है, की देखभाल ठेकेदार द्वारा की जानी चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा सामान्य साधनों से सीवर लाइनों में रुकावट को दूर नहीं किया जा सका और मेट्रो जल आपूर्ति में किसी भी समस्या के मामले में, ठेकेदार स्थानीय बीडब्ल्यूएसएसबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएगा, उनके साथ समन्वय करेगा और निर्बाध जल आपूर्ति की व्यवस्था करेगा तथा उनके माध्यम से या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के तहत गैर-निषिद्ध किसी भी सफाईकर्मों/यांत्रिक साधनों के माध्यम से ठेकेदार के खर्च और साधनों पर रुकावट को दूर करेगा। चोकेज/रुकावट को दूर करने की प्रक्रिया में उत्पन्न सीवेज/कीचड़ का निपटान बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उसी दिन बैंक परिसर से बाहर अनुमोदित नगरपालिका डंप यार्ड में तुरंत किया जाना चाहिए।'	सीवर लाइनों की मशीनीकृत जेटिंग करेगा, और इसकी लागत उद्धृत दरों में शामिल की जाएगी। सामान्य साधनों से दूर न होने वाली रुकावटों को भी ठेकेदार के खर्च पर मशीनीकृत साधनों से दूर किया जाएगा। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर किसी भी सीवर, मैनहोल, सेप्टिक टैंक या कक्ष की खतरनाक सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं लगाया जाएगा। सीवरों और कक्षों से गाद निकालना और सफाई करना उस अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणों के साथ मशीनीकृत साधनों द्वारा किया जाएगा।'
C5	खंड IV(क), D (प्लंबिंग), (ii) कार्य का दायरा, मद 22: '22. बैंक हर छह महीने में टंकियों यानी भूमिगत और ओवरहेड टैंक की विशेष सफाई का काम करता है। सफाई कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने में प्लंबर और हेल्पर को	मद 22 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: '22. भूमिगत और ओवरहेड पानी की टंकियों की सफाई के लिए कार्य का दायरा - कार्यालय और आवासीय क्वार्टर्स (i) कार्यालय और आवासीय क्वार्टरों में सभी भूमिगत और ओवरहेड पानी की टंकियों को छह महीने में एक बार, केयरटेकर की उपस्थिति में, तैनात प्लंबर और सहायक कर्मचारियों की

क्र. सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
	एजेंसियों की सहायता करनी चाहिए और निवासियों को निर्बाध जल आपूर्ति भी सुनिश्चित करनी चाहिए।'	सेवाओं के माध्यम से साफ किया जाएगा। (ii) खाली करने के बाद, टंकी की दीवारों को तार के ब्रश से रगड़ा जाएगा और ब्लीचिंग-पाउडर के घोल से कीटाणुरहित किया जाएगा। खाली टंकी की सफाई के बाद की तस्वीरें बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपी जाएंगी। (iii) पूरा होने पर, सभी जुड़े हुए नलों और आउटलेट्स को साफ किया जाएगा, और सक्शन से उत्पन्न होने वाले पंपिंग सिस्टम में किसी भी एयरलॉक की पहचान की जाएगी और उसे सुधारा जाएगा। (iv) एक समर्पित टैंक सफाई और रखरखाव रजिस्टर रखा जाएगा, और प्रत्येक सफाई अभियान के बाद संबंधित केयरटेकर द्वारा प्रत्येक प्रविष्टि को सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।' चूंकि यह कार्य तैनात जनशक्ति द्वारा किया जाना है, इसलिए कोई अलग भुगतान नहीं किया जाएगा; उपकरण, ब्लीचिंग पाउडर और अन्य उपभोग्य सामग्रियां ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों के भीतर प्रदान की जाएंगी।
C6	खंड IV(ख), खंड 9(i): '(i) मजदूरी वृद्धि- ठेकेदार मजदूरी संहिता, 2019 या किसी अन्य लागू कानून के तहत उचित सरकार द्वारा मजदूरी की संशोधित न्यूनतम दरों की अधिसूचना पर तुरंत मजदूरी में संशोधन लागू करेगा। ठेकेदार द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, अनुबंध मूल्य के श्रम घटक को केवल मजदूरी में वैधानिक वृद्धि और लागू श्रम कानूनों के तहत देय संबंधित वैधानिक अंशदान की सीमा तक संशोधित किया जाएगा। जहां ठेकेदार द्वारा पहले से भुगतान की गई मजदूरी संशोधित वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से अधिक है, वहां कोई अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।' अनुलग्नक X, खंड 18(a): '(a) मजदूरी वृद्धि: ठेकेदार मजदूरी संहिता, 2019 या किसी अन्य लागू कानून के तहत उचित सरकार द्वारा मजदूरी की संशोधित न्यूनतम दरों की अधिसूचना पर तुरंत मजदूरी में संशोधन लागू करेगा। ठेकेदार	दोनों खंडों का मौजूदा पाठ बरकरार रखा गया है। प्रत्येक के अंत में निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जाती है: 'इस उद्देश्य के लिए, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (किसी भी विस्तारित तिथि सहित) को लागू न्यूनतम मजदूरी दर और वैधानिक अंशदान को बोली में शामिल किया जाएगा, और उस तिथि के बाद अधिसूचित केवल संशोधन ही मूल्य वृद्धि के लिए स्वीकार्य होंगे।'

क्र. सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
	द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, अनुबंध मूल्य के श्रम घटक को केवल मजदूरी में वैधानिक वृद्धि और लागू श्रम कानूनों के तहत देय संबंधित वैधानिक अंशदान की सीमा तक संशोधित किया जाएगा। जहां ठेकेदार द्वारा पहले से भुगतान की गई मजदूरी संशोधित वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से अधिक है, वहां कोई अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।'	
C7	खंड IV(ख), खंड 9 और अनुलग्नक X, खंड 18: नवीनीकरण पर मद सं. 1 से 4 के संशोधन के लिए कोई मौजूदा प्रावधान नहीं (नया खंड)।	खंड IV(ख) के खंड 9(iii) और अनुलग्नक X के खंड 18(c) के रूप में जोड़ा गया: '(iii) नवीनीकरण पर मजदूरी घटक का संशोधन: अनुबंध के प्रत्येक नवीनीकरण पर, मद सं. 1 से 4 की दरों को नवीनीकृत अनुबंध वर्ष के प्रारंभ से ठीक पहले के छह महीनों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के औसत में ठीक पूर्ववर्ती अनुबंध वर्ष के प्रारंभ से पूर्व के संबंधित छह महीनों के औसत की तुलना में हुए परिवर्तन के अनुपात में संशोधित किया जाएगा, जिसमें खंड 9(ii) के समान सूचकांक श्रृंखला और लिंकिंग पद्धति का उपयोग किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी के वैधानिक संशोधन के कारण पूर्ववर्ती अनुबंध वर्ष के दौरान खंड 9(i) के तहत पहले से अनुमत किसी भी वृद्धि को इस खंड के तहत वृद्धि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, ताकि एक ही वृद्धि का दो बार भुगतान न हो। संशोधित दरें लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी। यह संशोधन कमी के साथ-साथ वृद्धि पर भी लागू होगा।'
C8	खंड IV(ख), खंड 12(a) (और अनुलग्नक X का संबंधित खंड 21(a) से (f)): '(a) ठेकेदार स्थल पर कार्य शुरू होने की तिथि से या उससे पहले निम्नलिखित बीमा पॉलिसियां लेगा। i. अग्नि जोखिम सहित पूर्ण अनुबंध मूल्य के लिए ठेकेदार की ऑल रिस्क पॉलिसी (सीएआर पॉलिसी)। ii. स्थल पर तैनात सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी मुआवजा पॉलिसी। iii. तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी - या तो एक अलग पॉलिसी के माध्यम से या सीएआर पॉलिसी के भीतर और निम्नलिखित विवरण के अनुसार: 1. व्यक्तियों को चोट के लिए - ₹5 लाख प्रति	खंड IV(ख) के खंड 12(a) और अनुलग्नक X के खंड 21(b) से (f) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: '(i) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय VII (कर्मचारी मुआवजा) के संबंधित प्रावधानों के तहत नियोक्ता के पूर्ण दायित्व के लिए, बैंक पर लगाए गए किसी भी दायित्व सहित, उनके सकल वेतन पर रिलीवरों और पर्यवेक्षकों सहित अनुबंध के तहत तैनात सभी कर्मियों को कवर करने वाली कामगार/कर्मचारी मुआवजा पॉलिसी। (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु और ठेकेदार के संयुक्त नाम में तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु का नाम पहले रखा गया हो, जो किसी भी व्यक्ति (निवासियों, आगंतुकों और बैंक के कर्मचारियों सहित) की मृत्यु या चोट के लिए तथा संपत्ति के नुकसान या क्षति (बैंक के परिसर

क्र. सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
	व्यक्ति प्रति दुर्घटना; संपत्ति को नुकसान के लिए - ₹2 लाख प्रति दुर्घटना, प्रति वर्ष ₹25 लाख (1 और 2) की अधिकतम सीमा के साथ।' खंड IV(ख), खंड 12(c) (और अनुलग्नक X का खंड 21(h)): '(c) बीमा पॉलिसियां अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के दौरान वैध रहेंगी और बैंक द्वारा अनुबंध का नवीनीकरण किए जाने की स्थिति में इन्हें दो अतिरिक्त वर्षों तक बढ़ाने में सक्षम होंगी।'	और निवासियों की संपत्ति सहित, और ठेकेदार के संचालन के कारण आग से होने वाले नुकसान सहित) के लिए कानूनी देयता को कवर करती है, जिसकी सीमा प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना ₹5 लाख से कम नहीं, संपत्ति के लिए ₹5 लाख प्रति दुर्घटना, और प्रति पॉलिसी वर्ष कुल मिलाकर ₹25 लाख होगी।' ठेकेदार की ऑल रिस्क (सीएआर) पॉलिसी की आवश्यकता को हटा दिया गया है। खंड IV(ख) के खंड 12(c) और अनुलग्नक X के खंड 21(h) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 'बीमा पॉलिसियां अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के दौरान वैध रहेंगी और बैंक द्वारा अनुबंध का नवीनीकरण किए जाने की स्थिति में इन्हें विस्तारित या नवीनीकृत किया जाएगा।'
C9	परिशिष्ट I, सुरक्षा संहिता, मद 1 से 13: भूमिगत संप और टंकियों पर कोई प्रावधान नहीं।	सुरक्षा संहिता की मद 14 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाता है: '14. भूमिगत संप और पानी की टंकियों की सफाई के लिए: पर्यवेक्षक की उपस्थिति के बिना कोई प्रवेश नहीं होगा; प्रवेश से पहले स्थान को हवादार बनाया जाएगा और ऑक्सीजन तथा खतरनाक गैसों के लिए परीक्षण किया जाएगा; कार्यकर्ता लाइफलाइन के साथ सुरक्षा हार्नेस पहनेगा, और पूरी प्रक्रिया के दौरान बाहर एक व्यक्ति स्टैंडबाय पर रहेगा।'
C10	मूल्य बोली, मद सं. 6: 'खंड IV (क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित घरेलू चिमनियों की सर्विसिंग के लिए शुल्क।' मात्रा: 240; इकाई: संख्या (Nos.)।	'खंड IV(क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित 240 घरेलू चिमनियों की सर्विसिंग के लिए शुल्क।' मात्रा: 4; इकाई: तिमाही। बोलीदाता सभी 240 चिमनियों के लिए त्रैमासिक दर उद्धृत करेंगे।
C11	मूल्य बोली, मद सं. 1 से 4 और 15: '1. खंड IV (क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित सात (7) पर्यवेक्षकों की तैनाती के लिए मासिक शुल्क।' '2. खंड IV (क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित इकतीस (31) कुशल श्रमिकों की तैनाती के लिए मासिक शुल्क।' '3. खंड IV (क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित उन्नीस (19) अर्ध-कुशल श्रमिकों/सहायकों की तैनाती के लिए मासिक शुल्क।' '4. खंड IV (क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित अठहत्तर (78) अकुशल श्रमिकों की तैनाती के लिए मासिक	मूल्य बोली की मद सं. 1 से 4 और 15 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: '1. साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियों और अवकाश के लिए रिलीवरों की लागत सहित, खंड IV(क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित सात (7) पर्यवेक्षकों की तैनाती के लिए मासिक शुल्क।' '2. साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियों और अवकाश के लिए रिलीवरों की लागत सहित, खंड IV(क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित इकतीस (31) कुशल श्रमिकों की तैनाती के लिए मासिक शुल्क।' '3. साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियों और अवकाश के लिए रिलीवरों की लागत सहित, खंड IV(क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित उन्नीस (19) अर्ध-कुशल श्रमिकों/सहायकों की तैनाती के लिए मासिक शुल्क।'

क्र. सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
	शुल्क।' '15. खंड IV (क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी और अन्य वैधानिक/अनिवार्य वेतन-संबंधी दायित्वों सहित वेतन संरचना के अनिवार्य और वैधानिक घटकों के लिए शुल्क।'	'4. साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियों और अवकाश के लिए रिलीवरों की लागत सहित, खंड IV(क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित अठहत्तर (78) अकुशल श्रमिकों की तैनाती के लिए मासिक शुल्क।' '15. रिलीवरों सहित मद सं. 1 से 4 के तहत कर्मियों के लिए, ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी और अन्य वैधानिक/अनिवार्य वेतन-संबंधी दायित्वों सहित वेतन संरचना के अनिवार्य और वैधानिक घटकों के लिए शुल्क, जैसा कि खंड IV(क) - कार्य और सेवाओं का दायरा में उल्लिखित है।' मूल्य बोली के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाती है: 'बोलीदाता जीईएम पर अपनी मूल्य बोली के साथ वह वेतन विश्लेषण अपलोड करेगा जिसका उपयोग उसने मद सं. 1 से 4 और 15 के लिए उद्धृत दरों पर पहुंचने के लिए किया है। विश्लेषण में कर्मियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी (मूल और वीडिए), रिलीवर, अवकाश और छुट्टियों के लिए प्रावधान, प्रत्येक वैधानिक अंशदान (ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई और प्रशासनिक शुल्क, बोनस, ग्रेच्युटी, श्रम कल्याण कोष, आदि) और लागू कानूनों के अनुसार तैयार किया गया कोई अन्य घटक दर्शाया जाएगा।'
C12	मूल्य बोली, मद सं. 15 पर टिप्पणी: 'मद सं. 15 के लिए, भुगतान को एक निश्चित मासिक पात्रता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसे बिलिंग अवधि के दौरान जनशक्ति की प्रमाणित तैनाती/उपस्थिति के अनुसार वास्तविक/यथानुपात आधार पर विनियमित किया जाएगा और बैंक के स्थल पर तैनात कर्मियों के संबंध में ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी और अन्य वैधानिक/अनिवार्य वेतन-संबंधी दायित्वों सहित लागू वैधानिक दायित्वों के प्रेषण/भुगतान के संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। जहां जनशक्ति तैनात नहीं की जाती है, अनुपस्थित रहती है, या वैधानिक भुगतान का प्रमाण बैंक की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, संबंधित वैधानिक घटक को मासिक बिल से आनुपातिक रूप से रोक/काट लिया जाएगा।'	मौजूदा टिप्पणी बरकरार रखी गई है। अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाता है: 'ग्रेच्युटी घटक को मासिक रूप से या लागू अनुसार, तैनात कर्मियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 57 के अनुपालन में तैनात श्रमिकों के लिए समान राशि जमा किए जाने के प्रमाण पर, वास्तव में भुगतान की गई राशि और वैधानिक आवश्यकता तक सीमित जारी किया जाएगा। देय होने पर श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान ठेकेदार की देयता बनी रहेगी, चाहे वह अनुबंध के दौरान हो या उसके बाद।'

क्र. सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
C13	खंड I, निविदा अनुसूची, और जीईएम बोली: जीईएम पर ईएमडी प्रमाण / मूल बैंक गारंटी जमा करने की अंतिम तिथि: '17 अक्टूबर 2026 दोपहर 12:30 बजे' जीईएम के माध्यम से ऑनलाइन बोली जमा करने का समापन: '17 अक्टूबर 2026 दोपहर 02:00 बजे' तकनीकी बोलियां खोलना: 'तकनीकी बोलियां (भाग I): 19 अक्टूबर 2026 दोपहर 02:00 बजे'	जीईएम पर ईएमडी प्रमाण / मूल बैंक गारंटी जमा करने की अंतिम तिथि: '24 अक्टूबर 2026 दोपहर 12:30 बजे' जीईएम के माध्यम से ऑनलाइन बोली जमा करने का समापन: '24 अक्टूबर 2026 दोपहर 02:00 बजे' तकनीकी बोलियां खोलना: 'तकनीकी बोलियां (भाग I): 26 अक्टूबर 2026 दोपहर 02:00 बजे'

5. उपर्युक्त स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं। शुद्धिपत्र सहित पूर्व-बोली बैठक का यह कार्यवृत्त निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग होगा। बोली प्रस्तुत करने का अर्थ यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने इन स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाने वाले निविदा दस्तावेज को स्वीकार कर लिया है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु

अनुलग्नक

कार्यक्षेत्र दौरा घोषणा का नमूना प्रारूप

(खंड III(ख), पात्रता मानदंड, क्र. सं. 8; खंड III(क), खंड 5)

(बोलीदाता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

संदर्भ सं.: _____

दिनांक: _____

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

बैंगलुरु 560001

विषय: कार्यक्षेत्र दौरा घोषणा: भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंगलुरु के मुख्य कार्यालय परिसर तथा विभिन्न कॉलोनियों में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु जीईएम बोली सं. GEM/2026/B/8007021

महोदय / महोदया,

मैं/हम, _____ (बोलीदाता का नाम), जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ में है, एतद्वारा घोषित करते हैं कि नीचे नामित हमारे अधिकृत प्रतिनिधि(यों) ने उनके सामने दर्शाई गई तारीख(खों) पर उपर्युक्त निविदा के अंतर्गत आने वाली बैंक की प्रत्येक संपत्ति का दौरा किया है।

2. हमने प्रत्येक संपत्ति का निरीक्षण किया है और स्थल की परिस्थितियों तथा निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कार्य की प्रकृति एवं सीमा और सेवाओं के दायरे से स्वयं को भली-भांति अवगत करा लिया है। हमने इसे समझ लिया है और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं।

3. प्रत्येक संपत्ति के देखरेखकर्ता (केयरटेकर) द्वारा प्रमाणित दौरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संपत्ति एवं पता	दौरे की तारीख	बोलीदाता के प्रतिनिधि(यों) का नाम	देखरेखकर्ता (केयरटेकर) द्वारा प्रमाणित (नाम एवं हस्ताक्षर)
1	मुख्य कार्यालय परिसर (एमओपी), भारतीय रिज़र्व बैंक, 10/3/8, नृपतुंगा रोड, बैंगलुरु 560001			
2	आरबीओक्यू कनिंघम रोड, अबशॉट लेआउट, वसंत नगर, बैंगलुरु 560001			
3	आरबीओक्यू कनिंघम क्रिसेंट, वसंत नगर, बैंगलुरु 560001			
4	आरबीओक्यू कोरमंगला, केएचबी गेम्स विलेज, बैंगलुरु 560047			
5	आरबीएसक्यू ऑस्बॉर्न रोड, हलसूर, बैंगलुरु 560042			
6	आरबीएसक्यू आरपीसी लेआउट, विजयनगर, बैंगलुरु 560040			

7	आरबीएसक्यू नंदिनी लेआउट, सरस्वतीपुरा, बेंगलुरु 560096			
---	--	--	--	--

4. इस प्रकार प्रमाणित इस घोषणा की एक प्रति हमारी बोली के साथ अपलोड की गई है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर: _____ स्थान: _____

नाम एवं पदनाम: _____ (बोलीदाता की मुहर)